न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 217/2023
अनवान : –

1. लक्ष्मी पत्नी दुन्नीचन्द जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीया

बनाम्

1. श्योरण पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा वाके रौही मौजा श्योराणी तहसील नोहर खाता संख्या 207/226 के खसरा नम्बर 170/2 की 6.2900 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 242 की 0.7590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248/1 की 9.7530 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 48 की 9.3610 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 की 0.3040 हैक्टेयर कुल तादादी 26.4670 हैक्टेयर प्रतिवादी नम्बर 1 श्योकरण पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी।

उपरोक्त आराजी जरई खाता संख्या 207/226 कुल तादादी 26.4670 हैक्टेयर वाके रौही श्यौराणी तहसील नोहर जिसका पुरा विवरण अर्जीदावा की मद नम्बर 1 में दर्ज है, में से खसरा नम्बर 242 की 0.7590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248/1 की 9.7530 हैक्टेयर कुल तादादी 10.5120 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा की 3.5040 हैक्टेयर बारानी भूमि वादिया ने दिनांक 11–9–2018 को प्रतिवादी नम्बर श्योकरण से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर ली तथा इसी प्रकार आराजी जरई खाता संख्या 207/226 कुल तादादी 26.4670 हैक्टेयर वाके रौही मौजा श्योराणी तहसील नोहर जिसका पुरा विवरण अर्जीदावा की मद नम्बर 1 में दर्ज है में से खसरा नम्बर 48 की 9.3610 हैक्टेयर व खसरा नबर 49 की 0.3040 हैक्टेयर कुल तादादी 9.6610 हैक्टेयर भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 3.2216 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि वादिया लक्ष्मी पत्नि दुनीचन्द जाति जाट साकिन श्योराणी तहसील नोहर की दिनाक 11–9–2018 को प्रतिवादी श्योकरण से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर ली तथा खरीद के वक्त से वादिया अपनी खरीदशुदा भूमि को काश्त करती आ रही है तथा वह उक्त भूमि की खरीदशुदा खातेदार काश्तकार है। बैयनामा एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके आधार पर एक पक्षकार विक्रेता के सारे अधिकार द्वितीय पक्षकार क्रेता के अन्दर हस्तान्तरित हो जाते है तथा वादिया अपनी खरीदशुदा भूमि की प्रतिवादी नम्बर 1 की जगह खरीदशुदा खातेदार काश्तकार नियमानुसार हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि वाके रौही मौजा श्योराणी तहसील नोहर खाता संख्या 207/226 कुल तादादी 26.4670 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 242 की 0.7590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248/1 की 9.7530 हैक्टेयर कुल तादादी 10.5120 भूमि में से 1/3 यानि 3.3540 हैक्टेयर व इस खाता की सरा नम्बर 48 की 9.3610 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 की 0.3040 हैक्टेयर कुल तादादी 9.

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6650 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा यानि 3.2216 हैक्टेयर वादिया की प्रतिवादी नम्बर 1 से दिनांक 11–09–2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर खरीदशुदा भूमि है तथा वादिया अपने आपको उक्त बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 की जगह खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है तथा इसी आशय की घोषणा करवा पाने की अधिकारी है मगर उक्त वादग्रस्त भूमि विक्रेता श्योकरण प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज है जिससे वादिया के खातेदारी हकूक का हनन होता है तथा वादिया अपने खातेदार हकूक की घोषणा करवा कर अपने आपको बैयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है तथा यही बिनाय दावा है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रतिवादी नम्बर 1 जो वृद्ध व्यक्ति है तथा वह वादिया के पति के अन्य भाईयों व भाईयों के लडका के दबाव में है तथा वे उक्त भूमि जो वादिया की खरीदशुदा है जो सम्मिलित कर अन्य प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का बैयनामा अपने नाम दर्ज करवाने की योजना बना रहे है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 फरोख्त कर देते है तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति परिवर्तित कर देता है तो वादिया को अपूर्णीय क्षति होती है तथा आयन्दा मुकमेबाजी बढती है जिससे वादिया प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारी है।

वाके रौही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 207/226 के खसरा नम्बर 170/2 की 6.2900 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 242 की 0.7590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248/1 की 9.7530 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 48 की 9.3610 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 की 0.3040 हैक्टेयर कुल तादादी 26.4670 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 242 की 0.7590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248/1 की 9.7530 हैक्टेयर कुल तादादी 10.5120 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा की 3.5040 हैक्टेयर की वादिया बैयनामा दिनाक 11–09–2018 के आधार पर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 48 की 9.3610 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 की 0.3040 हैक्टेयर कुल तादादी 9.6650 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा यानि 3.2216 हेक्ट भूमि की वादीया बैयनामा दिनांक 11.09.2018 के आधार पर खातदेार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया का कथन है कि रौही मौजा श्योरानी तहसील नोहर के खाता संख्या 207/226 के खसरा नम्बर 170/2 की 6.2900 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 242 की 0.7590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248/1 की 9.7530 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 48 की 9.3610 हैक्टेयर व

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरा नम्बर 49 की 0.3040 हैक्टेयर कुल तादादी 26.4670 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 242 की 0.7590 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248/1 की 9.7530 हैक्टेयर कुल तादादी 10.5120 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा की 3.5040 हैक्टेयर की वादिया बैयनामा दिनाक 11—09—2018 के आधार पर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 48 की 9.3610 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 की 0.3040 हैक्टेयर कुल तादादी 9.6650 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा यानि 3.2216 हेक्ट भूमि की वादीया बैयनामा दिनांक 11.09.2018 के आधार पर खातदेार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादीया द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की चित्रप्रति के मुताबिक प्रतिवादी स0 1 द्वारा दिनांक 11.09.2018 को प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादीया के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा तस्दीक करवाया गया है एवं वादीया बैयनामा के आधार पर न्यायालय से घोषणा करवाना चाही है लेकिन वादीया द्वारा उक्त बैयनामा बाबत तहसीलदार के समक्ष कोई कार्यवाही की गई है या नही बाबत कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया है एव वादीया ने न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह साबित हो की प्रतिवादी स0 1 द्वारा उक्त बैयानामा के नामान्तरण दर्ज करवाने से इन्कार या कोई आक्षेप अंकित किया हो एवं ऐसी परिस्थिति में वादीया बैयनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। वादीया बैयनामा के आधार पर तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। वाद वादी साक्ष्य सबूतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 217 / 2023
अनवान : –

1. लक्ष्मी पत्नी दुन्नीचन्द जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीया

बनाम्

1. श्योरण पुत्र रेखाराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1320 सन 2025 निर्णय दिनांक 04/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....04/06/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर